न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
अपील संख्या 12/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

बलवीर पुत्र हेता जाति जाट निवासी तालफरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रारह जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 21.12.2017 प्रकरण संख्या 12/2017(91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम बलवीर

उपस्थित :
1. श्री साहबसिंह चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक – 28.5.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायब तहसीलदार रारह की आज्ञा दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1293/3438/0.13 है0 वाकै ग्राम तालफरा किस्म गै0मु0 बारानी में से 0.03 है0 पर पक्का मकान बनाकर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 0.27 की पचास गुना राशि 13.50 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि खसरा नम्बर 1293/3438/0.13 कभी भी खसरा नम्बर नहीं रहा है। करीब 125 वर्ष से अपीलान्ट के पुरखों के समय से आबादी के काम आ रही है । पहले इस पर हमारा गैत बना हुआ था कृषि उपकरण रखे जाते थे पिछले 20 साल से पक्के मकान बने हुये है। विवादित जमीन के संदर्भ में सिविल न्यायालय व0ख0 कुम्हेर में दीवानी दावा भी विचाराधीन है। नियमित वाद के चलते 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कानूनन नायब तहसीलदार को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश बेबुनियाद कानून के परिपेक्ष्य मे नहीं किया गया है इसलिऐ काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी की किस्म बारानी है और पुराना कब्जा मानते हुये उसे अपीलान्ट के हक में नियिमत किया जा सकता है । अदालत तहत ने ऐसा न कर कानूनी भूल की है। चूंकि अपीलान्ट का उक्त जमीन पर पुरखों के समय से करीब 125 सालों से कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उक्त जमीन को अपीलान्ट के हक में नियमन किया जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया साथ ही विवादित

आराजी को पुराना कब्जा होने के नाते विनियमित करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायब तहसीलदार रारह के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्टस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 1293/3438/0.13 है0 वाकै ग्राम तालफरा किस्म गै0मु0 बारानी में से 0.03 है0 पर पक्का मकान बनाकर जो सरकारी जमीन है पर अतिक्रमण कर लिया है। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्ट पर हुई है। अपीलान्ट द्वारा न तो जबाब प्रस्तुत किया न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया। बाद जांच अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1293/3438/0.13 है0 वाकै ग्राम तालफरा किस्म गै0मु0 बारानी में से 0.03 है0 पर पक्का मकान बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर तहत अदालत द्वारा 91 एल आर एक्ट के परिपेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 21.12.2017 पारित की गई है । साबित हुये अतिक्रमण के तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा वकील अपीलान्ट स्वयं अपनी अपील में एवं दौराने बहस कथनों में यह जाहिर करते है कि उसका कब्जा है और वह नियमन कराना चाहता है। न तो उनके द्वारा तहत अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश किये और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित आज्ञा न्यायोचित रहती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 21.12.2017 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर